International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030, Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 2; Issue 3; May 2017; Page No. 255-258

मानवाधिकार संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान

डॉ0 आलोक कुमार सिंह

अध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, डी0एन0 पी0जी0 कॉलेज, फतेहगढ, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

सामाजिक जीवन की ऐसी दशाएं जिनमें मानव को समाज एवं कानून सम्मत कार्यों को संम्पादित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहे, मानवाधिकार कहताली है और उसके लिए इन दशाओं को सुनिश्चित करना 'मानवाधिकार संरक्षण' के अन्तर्गत आता है। मानवाधिकारों को कभी–कभी मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अन्तर्निहित या जन्मजात अधिकार अथवा नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है जिनका तात्पर्य मानवाधिकारों से ही होता है। प्रत्येक नागरिक को इन्हें सुनिश्चित किया जाना सम्बन्धित सरकार का दायित्व है इस सम्बन्ध में एक सार्वभौमिक तथ्य यह भी है कि पृथ्वी पर उपलब्ध सभी जीवधारियों में मानव ''प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है यह चाहे किसी भी लिंग, वर्ग या जाति का हो, किसी भी देश, प्रदेश या क्षेत्र में रहता हो अथवा किसी भी धर्म, सम्प्रदाय या मत का मानने वाला गरीब या अमीर हो, प्रत्येक को अपने समुचित विकास, संरक्षण और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है।

विश्व की विभिन्न, सभ्यताओं, संस्कृतियों, जीवन मूल्यों और आदर्शों आदि सभी में मानव के इसी स्वरूप की कल्पना भी की गई है। लेकिन इसके विपरीत आज के विश्व में मानकीय सभ्यता अपने अपेक्षित मूल स्वरूप को छोड़ चुकी है। आज का मानव समाज न केवल अपने उच्च जीवन मूल्यों, आदर्शों तथा आधारभूत दायित्वों को भुलाता जा रहा है बल्कि उसे अपने इस भुलावे का अहसास मात्र भी नहीं है और तभी वर्तमान विश्व में मानव के मूलभूत अधिकारों की रक्षा हेतु पर्याप्त कानूनी प्रसास किए जाने के बाबजूद भी आज मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति भयावह होती जा रही है। इसी कारण से आज विश्व भर में मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयास करने के लिए जोर–शोर से चर्चाएं भी की जा रही हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि मानवाधिकारों तथा उनके संरक्षण के सम्बन्ध में उठाए गए कदमों पर सिलसिलेवार नजर डालें, तो पता चलता है कि इस दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 10 दिसम्बर, 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से प्रारम्भ हुआ और सभी से प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकारों के संरक्षण सम्बन्धी विचार का प्रादुर्भाव 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से जनमानस के अन्तःपटल पर हुआ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से ही अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने प्रकाश और आशा की एक ऐसी किरण पैदा हुई जिसमें साचा गया था कि इसके माध्यम से अब युद्व, दुदर्शा, घृणा और वैरभाव की अन्धी सुरंग से दुनिया को बाहर निकाला जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा जारी मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणा–पत्र में सभी सदस्य देशों और दुनिया के सभी लोगों से कहा गया कि वे घोषणा–पत्र में चिन्हित की गई स्वतंत्रताओं और अधिकारों को प्रोत्साहित करें और उनकी प्रभावी मान्यता और अवलोकन सुनिश्चित करें, मानवाधिकारों के इस सार्वभौमिक घोषणा–पत्र में 30 अनुच्छेद हैं और इन अनुच्छेदों को 'मानवता के मैग्नाकार्टा' के रूप में माना जाता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से पूर्व भी यद्यपि इस दिशा में स्थानीय स्तरों पर छोट–मोटे प्रयास किए जाते रहे हैं जिनके योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। पूर्व में किए गए इन छुटपुट प्रयासों के आकलन से विदित होता है सबसे पहले मानवाधिकारों के लिए संघर्ष की शुरूआत 15 जून, 1215 से हुई जब ब्रिटेन के तत्कालीन सम्राट जॉन को उसके सामन्तों द्वारा कतिपय मानवीय अधिकारों को मान्यता देने वाले घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया था। इतिहास में इसे 'मैग्नाकार्टा' कहा जाता है, मैग्नाकार्टा के द्वारा जो अधिकार सामन्तों को प्राप्त हुए वे कालान्तर में जन साधारण को हस्तान्तिरित हो गए इसी प्रकार वर्ष 1628 के अधिकार–पत्र पर ब्रिटन के सम्राट के हस्ताक्षर करवाने में ब्रिटेन की संसद सफल हुई जो कालान्तर में मानवीय अधिकारों के क्षेत्र में मील के पत्थर सिद्ध हुए।

18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में वर्जीनिया (संयुक्त राज्य अमरीका) के संविधान का निर्माण किया गया जिसमें मानवाधिकारों की वकालत करते हुए मनुष्य को प्रकृति से ही स्वतंत्र और समान बताया गया इन्हीं दिनों फ्रांस की राष्ट्रीय क्रान्ति ने सम्पूर्ण विश्व को स्वतन्त्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का संदेश दिया। इस क्रान्ति के बाद फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने वर्ष 1789 के नए संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल करके नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों को संवेधानिक रूप से मान्यता देने की प्रथा प्रारम्भ की। वर्ष 1791 में संयुक्त राज्य अमरीका के द्वारा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को एक संविधान संशोधन के जरिए संविधान का अंग बनाया गया। ये संविधान संशोधन ही सामूहिक रूप से अधिकार–पत्र कहलाए जिसका प्रभाव अन्य यूरोपीय देशों के संविधान पर भी पड़ा प्रथम विश्व युद्ध के बाद बने अनेक नए राष्ट्रों तथा पुराने राष्ट्रों के परिवर्तित संविधानों में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जर्मनी का वीमर संविधान (1933) तथा आयरलैण्ड का संविधान (1921) इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों के हनन को देखते हुए 'शान्ति स्थापना लीग' नामक संस्था का गठन भी किया गया था और जून 1915 में फिलाडेल्फिया में इसका प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ, इसी क्रम में वर्ष 1920 में राष्ट्र संघ का गठन किया गया परन्तु ये सारी प्रक्रिया एक अन्तर्राष्ट्रीय सहमति के अभाव में निरर्थक साबित हुई। वास्तविक रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार गतिविधियाँ द्वितीय विश्व युद्ध की भयंकर त्रासदी का ही परिणाम है इसकी भूमिका की शुरूआत 1941 में संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रूजवेल्ट के भाषण से हो गई थी, 6 जनवरी, 1941 को दिए गए एक भाषण में रूजवेल्ट ने मनुष्य की मूलभूत चार स्वतन्त्रताओं का उल्लेख किया था। 14 अगस्त, 1941 को कुछ देशों द्वारा अंगीकृत अटलांटित चार्टर में भी मनुष्य की

स्वतन्त्रतताओं की वकालत भी की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद वर्ष 1948 में इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मूर्त रूप प्रदान किया जा सका और संयुक्त राष्ट्र सहासभा द्वारा 10 दिसम्बर, 1948 को जारी किए गए सार्वभौमिक घोषणा–पत्र से इसकी औपचारिक शुरूआत हुई।

मानवाधिकारों के प्रकार

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किए गए घोषणा–पत्र में दिए गए 30 अनुच्छेदों पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि इसके आधार पर मानवाधिकारों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक आदि वर्गों के अन्तर्गत रखा जा सकता है। इस सभी प्रकार के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शपथ–पत्रों का मसौदा भी तैयार कराया गया है जिन पर अधिकांश सदस्य देशों द्वारा आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय शपथ–पत्र पर अनुमोदन प्रदान किया गया है और साथ ही 1948 के घोषणा–पत्र के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नागरिक व राजनीतिक अधिकारों सम्बन्धी शपथ–पत्र को भी अनुमोदित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सहासभा द्वारा घोषित मानवाधिकारों को निम्नलिखित प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है–

1. **नागरिक मानवाधिकारः–** सामान्यतया जीवन, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति से सम्बन्धित ऐसे अधिकार जो सभी व्यक्तियों और राष्ट्रों के जीवन के तथ्य तरीके को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। सामाजिक व नागरिक मानवाधिकारों के रूप में जाने जाते हैं। मानवाधिकारों की घोषणा में उन नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई जिनके सभी मनुष्य मौलिक रूप से हकदार हैं ये अधिकार हैं–

1. व्यक्ति के जीवन, स्वतन्त्रता और सुरक्षा का अधिकार।
2. गुलामी व दास प्रथा से स्वतन्त्रता।
3. यातना अथवा क्रूर अमानवीय अथवा विकृत व्यवहार अथवा दण्ड से मुक्ति।
4. प्रभावी न्यायिक उपचार का अधिकार एवं एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा उचित मुकदमें व जन सुनवाई का अधिकार।

2. **राजनीतिक मानवाधिकारः–** राजनीतिक मानवाधिकार किसी भी लोकतान्त्रिक समाज का आधार माने जाते हैं इसलिए मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा–पत्र में इन अधिकारों को शामिल किया है जो निम्नलिखित हैं –

1. राष्ट्रीयता का अधिकार और शरण पाने का अधिकार।
2. शान्तिपूर्वक सभा व संघ गठित करने का अधिकार।
3. सरकार में शामिल होने व सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुँच का अधिकार।
4. समान मताधिकार का अधिकार।
5. आन्दोलन करने की स्वतन्त्रता का अधिकार और विचार व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार सम्मिलित किए गए हैं।

3. **सामाजिक एवं आर्थिक मानवाधिकारः–** मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा–पत्र के अनुच्छेद 22 से 27 में वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं जिनके सभी मनुष्य हकदार होते हैं इन अधिकारों में शामिल हैं–

   1. सामाजिक सुरक्षा का अधिकार।
   2. कार्य करने का अधिकार।
   3. आराम करने व अवकाश प्राप्त करने का अधिकार।
   4. स्वस्थ एवं सकुशल जीवन के लिए आवश्यक मानव जीवन स्तर बनाए रखने के अधिकार उल्लिखित हैं।

4. **सांस्कृतिक मानवाधिकारः–** विभिन्न देशों के विभिन्न लोगों में विविध प्रकार की संस्कृतियाँ, परम्पराएं, नीति–रिवाज इत्यादि प्रचलित हैं। इस प्रकार मानवाधिकारों के घोषणा–पत्र में संस्कृति व विरासत के संरक्षण पर जोर दिया गया है। इसके अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि 'प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह कला का आनन्द लेने के लिए समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में स्वतन्त्रतापूर्वक भाग ले सके और वैज्ञानिक प्रगति व उसके लाभों में भागीदारी कर सके।'

मानवाधिकार घोषणा के विभिन्न अनुच्छेद एवं उनके प्रावधान

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित मानवाधिकारों में संसार के प्रत्येक व्यक्ति का जो अधिकार जन्म से ही प्राप्त हो जाने चाहिए, उन्हें 30 अनुच्छेदों में विभाजित करके प्रस्तुत किया गया है। इस घोषणा–पत्र के अनुच्छेद–1 के अनुसार सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान हैं, उन्हें बुद्धि और अतश्चेतना प्रदान की गई है तथा आशा व्यक्त की गई है कि उन्हें परस्पर भ्रातृत्व की भावना से कार्य करना चाहिए। अनुच्छेद–2 में प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में उपवर्णित सभी अधिकारों और स्वतन्ताओं का हकदार है। इसमें मूलवंश वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म राजनीतिक या अन्य विचार राष्ट्रीय या सामाजिक उद्भव सम्पत्ति, जन्म या अन्य परिस्थिति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी देश या राज्य क्षेत्र की चाहे वह स्वाधीन हो, न्याय के अधीन हो, अस्वशासी हो या प्रभुता पर किसी मर्यादा के अधीन हो राजनीतिक अधिकारिता विषयक या अन्तर्राष्ट्रीय प्रावधानों के आधार पर उस देश या राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति से कोई विभेद नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद–3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्राण, व्यवतन्त्रता और दैहिक सुरक्षा अधिकार है। अनुच्छेद–4 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को दास या गुलाम नहीं रखा जाएगा सभी प्रकार की दासता और दास व्यापार प्रतिषिद्ध होगा। अनुच्छेद–5 की व्यवस्था के अनुसार किसी भी व्यक्ति को यन्त्रणा नहीं दी जाएगी या उसके साथ क्रूर, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार नहीं किसी जाएगा या उसे ऐसा दण्ड भी नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद–6 में प्रत्येक व्यक्ति को सर्वत्र विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद–7 के अनुसार सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान और किसी विभेद के बिना विधि के समान संरक्षण के हकदार हैं। सभी व्यक्ति इस घोषणा के अतिक्रमण में विभेद के विरूद्ध समान संरक्षण के हकदार बनाए गए हैं।

अनुच्छेद–8 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या विधि या प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरूद्ध समक्ष राष्ट्रीय अधिकरणों द्वारा प्रभावी उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद–9 में किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार निरूद्ध या निर्वासित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद–10 में प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और बाध्यताओं के और उसके विरूद्ध आपराधिक आरोप की अवधारणा में पूर्णतया समान रूप से स्वतन्त्र और निष्पक्ष अधिकारण द्वारा सार्वजनिक सुनवाई का हक प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद–11 के अनुसार ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर दाण्डिक अपराध का आरोप है को यह अधिकार है कि उसे तब तक निरपराध माना जाएगा जब तक कि उसे लोक विचारण में जिसमें उसे अपने प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक सभी सुरक्षाएं प्राप्त हों, विधि के अनुसार दोषी सिद्ध नहीं कर दिया जाता इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य या लोप के कारण जो किए जाने के समय राष्ट्रीय या अर्न्राष्ट्रीय विधि के अधीन दाण्डिक अपराध नहीं था। किसी दण्डनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जाएगा। उस शास्ति से अधिक शास्ति अधिरोपित नहीं

की जाएगी जो उस समय लागू थी जब अपराध किया गया था। अनुच्छेद–12 के अनुसार किसी भी व्यक्ति की एकान्तता, कुटुम्ब,घर या पत्र–व्यवहार के साथ मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और उसके सम्मान और ख्याति पर प्रहार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे हस्तक्षेप या प्रहार के विरूद्ध विधि के संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद–13 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राज्य की सीमाओं के भीतर संचरण और निवास की स्वतन्त्रता का अधिकार दिया गया है तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश को या किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश में वापस आने का अधिकार है। अनुच्छेद–14 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न के कारण अन्य देशों में शरण मॉगने और लेने का अधिकार है तथा इस अधिकार का अवलम्ब अराजनैतिक अपराधों या संयुक्त राष्ट्र से वास्तविक रूप से अद्भुद अभियोजनों की दशा में नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद–15 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है तथा किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से न तो उसकी राष्ट्रीयता से और न राष्ट्रीयता परिवर्तित करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

अनुच्छेद–16 वयस्क पुरूषों और स्त्रियों को मूलवंश, राष्ट्रीयता या धर्म के कारण किसी भी सीमा के बिना, विवाह करने और परिवार स्थापित करने का अधिकार है। वे विवाह के विषय में विवाहित जीवनकाल में और उसके विघटन पर समान अधिकारों के हकदार हैं तथा विवाह के इच्छुक पक्षकारों की स्वतन्त्र और पूर्ण सम्मति से ही विवाह किया जाएगा। इसके अतिरिक्त परिवार समाज की नैसर्गिक और प्राथमिक सामाजिक इकाई है और यह समाज एवं राज्य द्वारा संरक्षण का हकदार हैं। अनुच्छेद–17 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सम्पत्ति का स्वामी बनने का अधिकार है तथा किसी को भी उसकी सम्पत्ति से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद–18 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार अन्तःकरण और धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार है इस अधिकार के अन्तर्गत अपने धर्म या विश्वास को परिवर्तित करने की स्वतन्त्रता और अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप से या अकेले शिक्षा, व्यवहार, पूजा और पालन में अपने धर्म या विश्वास को प्रकट करने की स्वतन्त्रता भी है। अनुच्छेद–19 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार है। इस अधिकार के अन्तर्गत हस्तक्षेप के बिना अभिमत रखने और किसी भी संचार माध्यम से और सीमाओं का विचार किए बिना जानकारी मॉगने, प्राप्त करने एवं देने की स्वतन्त्रता भी है। अनुच्छेद–20 के अनुसार प्रत्येक को शान्तिपूर्वक सम्मेलन की स्वतन्त्रता का अधिकार है तथा किसी भी व्यक्ति को किसी सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद–21 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकार में सीधे या स्वतन्त्रतापूर्वक चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की लोक सेवा में समान प्रवेश का अधिकार है। इसके अतिरिक्त लोकमत सरकार के प्राधिकार का आधार होगा इसकी अभिव्यक्ति सर्वाधिक और वास्तविक निर्वाचनों में होगी जो सार्वभौम और समान मताधिकार द्वारा होंगे और गुप्त मतदान द्वारा समतुल्य, स्वतन्त्र मतदान की प्रक्रिया द्वारा किए जाएगे। अनुच्छेद–22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और वह राष्ट्रीय प्रयास और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से और प्रत्येक राज्य के गठन और संसाधनों के अनुसार ऐसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार है जो उसकी गरिमा और उसके व्यक्तित्व के उन्मुक्त विकास के लिए अनिवार्य है।

अनुच्छेद–23 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का नियोजन के स्वतन्त्र यचन का कार्य की न्यायोचित और अनुकूल दशाओं का एवं बेरोजगारी के विरूद्ध संरक्षण का अधिकार है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को किसी विभेद के बिना समान कार्य के लिए समान बेतन का अधिकार है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को जो कार्य करता है ऐसे न्यायोचित और अनुकूल पारिश्रमिक का अधिकार है जिससे स्वयं उसका और उसके कुटुम्ब का मानव गरिमा के अनुरूप जीवन सुनिश्चित हो जाए और यदि आवश्यक हो तो सामाजिक संरक्षण के अन्य साधनों द्वारा उसे अनुपूर्ति किया जाए तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों के संरक्षण के लिए ट्रेड यूनियन बनाने और उनमें सम्मिलित होने का अधिकार है। अनुच्छेद–24 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है जिसके अन्तर्गत कार्य के घण्टों की युक्तियुक्त सीमा और समय–समय पर वेतन सहित छुट्टियाँ भी सम्मिलित हैं।

अनुच्छेद–25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन–स्तर का अधिकार है जो स्वयं उसके और उसके परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त है जिसके अन्तर्गत भोजन, वस्त्र, मकान और चिकित्सा तथा आवश्यक सामाजिक सेवाएं भी हैं और बेरोजगारी रूग्णता, अशक्तता, वैधन्य, वृद्धावस्था या उसके नियन्त्रण के बाहर परिस्थितियों में जीवनयापन के अभाव की दशा में सुरक्षा का अधिकार है। इसके अतिरिक्त मातृत्व और बाल्यकाल विशेष देखभाल और सहायता के हकदार हैं। सभी बच्चे चाहे उनका जन्म विवाहित या अविवाहित जीवन काल में हुआ हो, समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अनुच्छेद–26 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। कम से कम प्राथमिक और मौलिक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क होगी, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा सामान्यतः उपलब्ध कराई जाएगी और उच्च शिक्षा सभी व्यक्तियों को गुणागुण के आधार पर समान रूप से प्राप्त होगी और शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों और मूल स्वतन्त्रताओं के आदर की वृद्धि होगी यह सभी राष्ट्रों मूलवंश विषयक या धार्मिक समूहों के मध्य समझ, सहिष्णुता और मैत्री की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगी और शान्ति बनाये रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्य कलापों को अग्रसर करेगी। इसके अतिरिक्त माता–पिता को यह चयन करने का पूर्णाधिकार है कि उनकी सन्तान का किसी प्रकार की शिक्षा दी जाएगी।

अनुच्छेद–27 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में मुक्त रूप से भाग लेने, कलाओं का आनन्द लेने और वैज्ञानिक प्रगति एवं उसके लाभों में हिस्सों को प्राप्त करने का अधिकार है तथा प्रत्येक व्यक्ति को स्वनिर्मित वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति के परिणामस्वरूप होने वाले नैतिक और भौतिक हितों के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद–28 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हकदार है जिसमें इस घोषणा में वर्जित अधिकारों और स्वतन्त्रताओं को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद–29 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के उस समुदाय के प्रति कर्तव्य है जिसमें उसके व्यक्तित्व का उन्मुक्त और पूर्ण विकास सम्भव है तथा प्रत्येक व्यक्ति पर अपने अधिकारों और स्वतन्त्रताओं के प्रयोग में वहीं मर्यादाएं लगाई जाएगी जो अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की सम्यक् मान्यता और समान सुनिश्चित करने और प्रजातन्त्रात्मक समाज में नैतिकता लोक व्यवस्था और साधारण कल्याण की न्यायोचित अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए विधि द्वारा अवधारित की गई है। इसके अतिरिक्त किसी भी दशा में इन अधिकारों, स्वतन्त्रताओं का संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्धान्तों के प्रतिकूल प्रयोग नहीं किा जाएगा।

अनुच्छेद–30 के अनुसार किसी के द्वारा किसी बात का एक निर्वाचन नहीं किया जायेगा कि उसमें किसी राज्य, समूह या व्यक्ति के लिए कोई ऐसी गतिविधि या कोई ऐसा कार्य करने का अधिकार सम्मिलित है जिसका लक्ष्य इसमें उपवर्णित अधिकारों और स्वतन्त्रताओं में से किसी का विनाश करना है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त मानवाधिकार जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लिखित हैं इनका लक्ष्य विश्व के समस्त मानवों को गरिमा से पूर्ण करना है। अधिकार का लक्ष्य व्यक्ति का बाधा रहित सम्पूर्ण विकास है। अधिकारों के माध्यम से समाज व राज्य द्वारा मनुष्यों को वह सामाजिक परिस्थितियॉ उपलब्ध कराई जाती हैं जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। आज विश्व के हर कोने में बसे बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनेताओं, आदि ने मानवाधिकार रक्षा के लिए आवाज बुलन्द की है। भले ही वह आदर्शवादी नारें को उठाकर अपने कतिपय हितों की पूर्ति के लिए ऐसा कर रहे हो। यह भी उल्लेखनीय है कि मानव कितना ही स्वार्थी हो कुछ अंश तक वह आदर्शवादी भी होता है और इसी आदर्शवादिता की चमक से आकर्षित होकर अनेक गैर–सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण हुआ है जिन्होंने ईमानदारी से मानव अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयत्न किया है। ये संगठन ही अनेक लोगों की आशा की किरणें हैं। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के पीछे कोई बाध्यकारी तथा कानूनी शक्ति नहीं है, फिर भी यह घोषणा स्पष्ट तथा निश्चित रूप से राज्यो के सम्मुख एक नैतिक आदर्श प्रस्तुत करती है। इस घोषणा ने अनेक राज्यों के संविधानों तथा कानूनों के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को भी प्रभावित किया है।

सन्दर्भ

1. द टाईम्स ऑफ इण्डिया–27 नवम्बर 2014।
2. द हिन्दू, दिसम्बर–1, 2014।
3. मार्गेन्थाऊ, हेन्स जे0–पालिटिक्स एमान्ग नेशन्स
4. वेलमैन, कार्ल–द मोरल डाइमेन्शन्स आफ ह्यूमन राइट, आक्सफोर्ड यूनि0 प्रेस, 2011।
5. रामचरन, वरटैण्ड जी0–द यू0एन0 ह्यूमन राइट्स काउन्सिल, रूटलेज प्रेस, 2011।
6. डोनली, जैक–इन्टरनेशनल ह्यूमन राइट, वैस्ट व्यू प्रेस, 2013
7. स्टर्न्स, पीटर एन0– ह्यूमन राइट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, रूटलेज प्रेस, 2012।